



क्रमांक एफ 1(16) ग्रावि/नरेगा/वार्षिक कार्य योजना-2020-21

जयपुर, दिनांक 16 SEP 2019

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं  
जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।

**विषय:-** महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक कार्य योजना में लिये जाने वाले कार्य समन्वित ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करवाये जाने बाबत।

**प्रसंग:-** विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 13.08.2019

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था कि "योजनान्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में जीआईएस आधारित आईएनआरएम प्लान में से प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक कार्य योजना अधिनियम के प्रावधानों एवं विभागीय निर्देशों के क्रम में तैयार की जावे। इस क्रम में यदि पूर्व में तैयार किये गये आईएनआरएम प्लान में कोई गतिविधि शामिल करनी हो, तो उसे शामिल करते हुए पूर्व में तैयार जीआईएस प्लान में आवश्यक संशोधित कर लिए जावे। दिनांक 15 अगस्त, 2019 से 02 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित की जाने वाली विशेष ग्राम सभाओं में प्रस्ताव प्राप्त कर कार्य योजना का विभिन्न स्तर से अनुमोदन पश्चात ग्राम पंचायतवार ऑनलाईन एन्ट्री पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।"

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समन्वित ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार किये जाने हेतु दिनांक 02.10.2019 से 31.12.2019 आयोजित अभियान "सबकी योजना सबका विकास" में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत तैयार प्लान में ली गई गतिविधियों का GPDP में समावेश करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

- श्रमिकों को रोजगार, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभ की स्थाई सम्पत्तियों का सृजन
- मिशाल जल संरक्षण संबंधी कार्य
- योजनान्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण

उल्लेखनीय है कि संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नरेगा योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा कर ली गई होगी। इस क्रम में पूर्व में तैयार किये गये जीआईएस प्लान में एनआरएम गतिविधियों के साथ ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण विकास हेतु आवश्यक नॉन एनआरएम गतिविधियों को भी केएमएल फाईल में शामिल कर लिया जावे। यदि सामुदायिक विकास संबंधी कोई अन्य एनआरएम एवं नॉन एनआरएम गतिविधि शामिल करनी हो, तो उसे भी शामिल कर वार्षिक कार्य योजना 2020-21 (एनआरएम एवं नॉन एनआरएम गतिविधियां सहित)का अनुमोदन ग्राम सभा से करवाकर पूर्व में तैयार जीआईएस प्लान (केएमएल फाईल) में आवश्यक संशोधित कर लिए जावे।

भवदीय,

  
(पूर्ण चन्द्र किशन)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- 5 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
- 6 अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
- 7 रक्षित पत्रावली।

परि0 निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस